(159)

62

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 2/पे0 1–101/2019 - 192

प्रेषक,

नित्यानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

मेल

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक/रूपांकण सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक/रूपांकण सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 16/8/23

विषय–कनीय अभियंताओं के सेवांत लाभों की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक–2/पे0 1–102/2015–18 दिनांक–02.02.2016 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विभागान्तर्गत सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं के राज्य स्तरीय संवर्ग को देखते हुए समक्ष प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत सेवांत लाभों के भुगतान की कार्रवाई किये जाने का दिशानिर्देश निर्गत है। प्रासंगिक पत्र में यह भी उल्लेखित है कि उक्त निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता को ऐसे मामले में पूर्ण रूपेण जिम्मेवार मानते हुए उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, परन्तु कतिपय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं के सेवांत लाभों आदि के स्वीकृति/भुगतान की कार्रवाई अपने स्तर से की जा रही है, जिसके कारण कनीय अभियंताओं के विरूद्ध स्थल लेखा/अन्य सामग्रियों का प्रभार नहीं सौंपने, अस्थायी अग्रिम की राशि असमायोजित रहने के बावजूद संबंधित कर्मी को सेवांत लाभों आदि का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है, जिससे वसूलनीय राशि में कठिनाई उत्पन्न होती है।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के कार्यवाही ज्ञापांक–वि0(27) पे0 को0–26/2018–383 दिनांक–22.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) के कंडिका–2 (iii) में अंकित है कि "भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान सेवानिवृति की तिथि को निश्चित रूप से कर दिया जाय।"

अतः पुनः निर्देश है कि कनीय अभियंताओं के राज्य स्तरीय संवर्ग को देखते हुए सक्षम प्राधिकार के स्तर से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही सेवांत लाभों (यथा–पेंशन, उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि) का भुगतान का मामला निष्पादन किया जाय। उक्त निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को ऐसे मामले में पूर्णरूपेण जवाबदेह मानकर उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/8/2

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–2/पे0 1–102/2015 – 18

प्रेषक,

अंशुली आर्या,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (रूपांकण एवं योजना सहित मुख्य अभियंता यांत्रिक एवं मुख्य अभियंता नागरिक सहित), लोक स्वा0 अभि0 विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक/रूपांकण एवं योजना सहित), लोक स्वा0 अभि0 विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक/रूपांकण एवं योजना सहित),लोक स्वा0 अभि0 विभाग।
सचिव बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार पटना।

पटना, दिनांक 02/02/16

विषयः– कनीय अभियंताओं के सेवान्त लाभों यथा पेंशन, उपादान, भविष्यनिधि की अंतिम निकासी एवं अनुमान्य अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभाग में विभिन्न मामलो की समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थ कनीय अभियंताओं के सेवान्त लाभों से संबंधित कागजात मुख्यालय से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र किये हुये महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया गया है, जिसके फलस्वरूप कनीय अभियंताओं के विरूद्व उनके विभिन्न पदस्थापित स्थानों पर उनके विरूद्व असमायोजित अस्थायी अग्रिम राशि की वसूली में प्रक्रियात्मक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। आप अवगत हैं कि कनीय अभियंताओं का संवर्ग राज्य स्तरीय है, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–511, दिनांक–22.02.2011 के आलोक में उनके वेतनमान तथा ग्रेड पें के आधार पर उन्हें राज्य सरकार के सेवाओं/पदो के वर्गीकरण में समूह "ख" की श्रेणी में रखा गया है। पुनः बिहार कार्यपालिका नियमावली (यथासंशोधित वर्ष 1979) के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची भाग (ग) में वर्ग "ख" के कर्मियों के पेंशन, उपादान, भविष्यनिधि की अंतिम निकासी एवं अनुमान्य अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि की स्वीकृति

कृपया पृ0 उ0

हेतु विभागीय सचिव सक्षम प्राधिकार हैं। विभाग के समक्ष ऐसे भी कई मामले दृष्टि में आये हैं, जिसमे कनीय अभियंताओं द्वारा स्थल लेखा सहित अन्य सामग्रियों का प्रभार नहीं सौंपने, अस्थ. अग्रिम की राशि असमायोजित रहने के आधार पर उनसे इस मद में राशि वसूलनीय रहने के बावजुद उनके सेवान्त लाभों का भुगतान कार्यपालक अभियंता के स्तर से कर दिया गया है। फलतः ऐसी राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा महालेखाकार से अनुरोध करने की अनावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर कार्यपालक अभियंता द्वारा ऐसे मामलों में सावधानी बरतते हुये विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कनीय अभियंताओं के सेवान्त लाभों का निपटारा किया गया होता तो ऐसी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

अतः निर्देश दिया जाता है कि कनीय अभियंताओं के राज्य स्तरीय सवर्ग को देखते हुये सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही उनके सेवान्त लाभों का मामला निष्पादन किया जाय। उक्त निर्देश की अवहेलना होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता को ऐसे मामलो में पूर्णरूपेण जिम्मेवार मानकर उनके विरूद्व सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

1/2/16

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

CWJC-16229/19

(156)

65

पत्रांक-प0(27) पे0 को0-26/2018-________/वि0,

बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

बिहार सरकार

वित्त विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
25 APR 2019
बिहार, पटना

पेंशन एवं सेवान्त लाभों के लंबित मामलों के निपटारे हेतु दिनांक-08.04.2019 को अपराह्न 4 बजे प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही ।

(1) उपस्थिति : आमंत्रित निम्न 12 विभागों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए:-

(i) शिक्षा विभाग
(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(iii) स्वास्थ्य विभाग
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग
(v) लघु जल संसाधन विभाग
(vi) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(vii) जल संसाधन विभाग
(viii) श्रम संसाधन विभाग
(ix) गृह(कारा)विभाग
(x) सहकारिता विभाग
(xi) मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(xii) वाणिज्यकर विभाग

JS (MC)

2. आमंत्रित सभी विभागों के पेंशन एवं सेवांत लाभों के प्रतिवेदन की समीक्षा प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा की गई । समीक्षा के क्रम में लंबित सेवांत लाभों के मामले पर उनके द्वारा काफी असंतोष व्यक्त किया गया एवं लंबित सेवांत लाभों के त्वरित निष्पादन हेतु उन्होंने निम्नांकित निदेश दिये-

(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ग) के प्रावधान के अनुरूप सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरूद्ध यदि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चल भी रही हो तो उन्हें औपबंधिक रूप से कम से कम 90% पेंशन स्वीकृत कर दिया जाय ।

(ii) यदि सेवानिवृत्त कर्मी अपना पेंशन प्रपत्र जमा न करे तो उन्हें वित्त विभागीय ज्ञापांक-8739 दिनांक-13.07.1967, ज्ञापांक-500 दिनांक-01.02.1973 एवं ज्ञापांक-3349 दिनांक-02.04.1974 के प्रावधान के अनुरूप औपबंधिक पेंशन स्वीकृत कर दिया जाय ।

(iii) भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान सेवानिवृति की तिथि को निश्चित रूप से कर दिया जाय ।

(iv) दिसम्बर-2018 तक सेवानिवृत्त कर्मी के सेवांत लाभों के लंबित मामलों को चिन्हित किया जाय तथा उन मामलों को जून 2019 तक हर हाल में निष्पादित किया जाय तथा प्रगति प्रतिवेदन जून के अंत तक वित्त विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय ।

342
30/4/19

(v) जिन कर्मी/पदाधिकारी के कारण दिनांक-31.03.2018 के पूर्व से सेवांत लाभ के मामले लंबित हों, उन्हें प्रशासी विभाग चिन्हित करे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ किया जाय ।

(vi) लंबित सेवांत लाभ पर विलंब के कारण ब्याज दिये जाने की स्थिति में विलंब के लिए जिम्मेवार कर्मी/पदाधिकारी से कारण पृच्छा कर ब्याज की राशि की वसूली की जाय ।

(vii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को निदेश दिया जाय कि वे कम-से-कम छः माह पूर्व ही सभी आवेदन समर्पित कर दें । रूचि नें लेने वाले कर्मचारी को दायित्व निर्वहन न करने के लिए कारण पृच्छा निर्गत कर और आवश्यक होने पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय ।

(viii) वैसे कर्मी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के उपरांत भी अपना पेंशन प्रपत्र जमा नहीं किये हैं अथवा लापता हैं उनके गृह पता/स्थायी पता पर पत्र भेजा जाय । आवश्यक होने पर कार्यालय से किसी कर्मी को भेजकर सेवानिवृत्त कर्मी से आवश्यक कागजात/सूचना प्राप्त किया जाय ।आवश्यक होने पर दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन निकाला जाय । यदि फिर भी समाधान नहीं हो तो **speaking order** निकाल कर वैसे सारे मामलों को एक साथ बन्द कर दिया जाय ।

ह0/-
(शिव शंकर मिश्र)
भा.प्र.से
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-वि0(27) पे0 को0-26/2018- 383 /वि0, पटना,दिनांक - 22-4-19

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/4
(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

M.B
22-04-19